

**कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा-राजस्थान**

क्रमांक : स्था0 / 25 /

दिनांक : 28.03.2025

**-: कार्यालय आदेश :- # 12**


मैं पूरण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्वारा भारतीय नागरिक सुस्था संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह अप्रैल 2025** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकारिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

**माह अप्रैल, 2025**

क्र.सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1.	06.04.2025 रविवारीय/राम नवमी अवकाश	श्रीमती रजनी कुमावत, ए.सी.जे.एम बांसवाड़ा	श्री रकमचंद रीडर 9166900205
2.	10.04.2025 महावीर जयंति अवकाश	श्री कौशल वर्मा, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय गढी	श्री सुरेश पारीक रीडर 9929436028
3.	12.04.2025 द्वितीय शनिवार अवकाश 13.04.2025 रविवारीय अवकाश 14.04.2025 अंबेडकर जयंति अवकाश	श्री मुकेश कुमार भीणा, जे.एम बांसवाड़ा	श्रीमती सविता चौधरी रीडर 6376079274
4.	18.04.2025 गुड फ्राईडे अवकाश	श्री मुकेश कुमार सावरीया, जे.एम आनन्दपुरी	श्री श्यामवीर सिंह रीडर 8824252534
5.	20.04.2025 रविवारीय अवकाश	श्रीमती पल्लवी बोहरा, ए.जे.एम बांसवाड़ा	श्री संदीप रीडर 8949344406
6.	26.04.2025 चतुर्थ शनिवार अवकाश 27.04.2025 रविवारीय अवकाश	श्री विकास जैन, ए.सी.जे.एम घाटोल,	श्री राजेन्द्र रीडर 9414645887

**नोट:-**

- रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में **आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर** उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का **स्थानान्तरण** हो जाता है **अथवा** पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा **ट्रेनिंग** आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर **अथवा** किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से **अवकाश घोषित** कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 25 / **295-297**


दिनांक : 28.03.2025

**प्रतिलिपि :-**

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा को सूचनार्थ ।
- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि बांसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस थानों को इस आदेश से सूचित करावें ।

**प्रतिलिपि अधोलिखित को जरिए इंटरनेट माध्यम प्रेषित है:-/ 297**

- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा / घाटोल / कुशलगढ / बागीदौरा
- न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बांसवाड़ा / गढी / बागीदौरा / आनन्दपुरी
- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बांसवाड़ा
- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढी / तलवाड़ा

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)

